



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Duplicate-copy CRSLP9122530

9/7/2022



नामांतरण शुद्धि-पत्र

जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	धनबाद	हल्का	हल्का-01	
स्ट्रेट का नाम	झारखण्ड	भाग वर्तमान(VOL)	8	पृष्ठ संख्या वर्तमान	94	पाना न.	4	
क्रमिक संख्या	केस न.	मौजा का नाम/ राजस्व शाना न.	बाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधूत विसमें नामांतरण संबंधित है खाता न. भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या वर्तमान	कारोबार विस्तृत सूचना खाता न. प्लॉट न. क्षेत्रफल	रजिस्टर 2 अद्यतन तिथि अभ्युक्ति
22530	1670 /R27 2022 - 2023	पाण्डरपाला/ 4	झरिया	24/08/2022	By Sale Registration B&B Dated 18/06/2022	601 1 1992	601 91 2.64 हिस्मील	5
क्रेता का नाम : (SRI AMAR DEO SINGH-पिता-LATE RAM PRAVESH SINGH, जाति-----, पता-NEAR KAILUDIH SCHOOL EAST KATRAS COLLIERY AKASHKANALI DHANBAD)				जमाबंदी रैयत का नाम : श्रीमति आशा देवी-पति-श्री कन्हाई कुमार		विक्रेता का नाम : SMT ASHA DEVI, पति-KANHAI KUMAR, जाति-----, पता-BHULI BASTI PO BHULI NAGAR PS BANK MORE DHANBAD		
राजस्व कर्मचारी हल्का-01 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनाई हस्तान्तरित यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।				Signature valid ✓ Digitally signed by PRASANT KUMAR LAYAK अंचलाधिकारी धनबाद				

कोरोना के उड़ जाएंगे प्राण, जब सड़क पर न जाएं इन्सान |

Amar Deo Singh.

uplicate Copy

-Aug-2022

आदेश

तिथि Aug 24 2022

आदेश पर की गई
कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा पाण्डरपाला थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
601	91	0 एकड़, 2.64 डिसमील, 0 हेक्टर

का विक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
SMT ASHA DEVI	पति	KANHAI KUMAR

हे जिन्होंने निबंधित विक्री, विक्री-केवाला संख्या 3747 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को विक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरियत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्रीमति आशा देवी	पति	श्री कन्हैया कुमार

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान 5रुपये

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

स्वीकृत

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
PRASANT KUMAR LAYAK

अंचलाधिकारी धनबाद

